6/9/2021

आवश्यकता पड़ने पर वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी/वादी को बार-बार कह-कह कर न्यायालय समय से न्यायालय कक्ष उपस्थित तक आवाजें लगवाई गई। बावजूद वकील वादी/वादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादिनी का वाद अस्वीकृत होकर प्रतिवादी के विरुद्ध खारिज किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण पुनः दायर कर सकते हैं।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:14:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner